"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 320]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2012—पौष 5, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 9353/3346/21-ब/छ.ग./12.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 7515/2701/21-ब/छ.ग./09 दि. 18-9-12 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

कालम नं. 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :—

"सिविल जिला अम्बिकापुर"

Raipur, the 6th December 2012

NOTIFICATION

F. No. 9353/3346/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by section 153 (1) of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in this department's previous notification No. 7515/2701/XXI-B/C.G./12, dated 18-9-12, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification :—

For the entry in column No. 3, the following shall be substituted, namely :—

"Ambikapur Civil District"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.